राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर
(जी 3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302015)
टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल–**dlbrajasthan@gmail.com** वेबसाईट **www.lsg.urban.rajasthan.gov.in**

क्रमांकः– प.8(ग)(38)नियम/डीएलबी/19/ SPL-1 जयपुर, दिनांकः– 30.03.2020

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 38449 दिनांक 08.01.2020 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर शास्ति में दिनांक 31.03.2020 तक निम्नानुसार छूट प्रदान की गयी थीः–

क्र.सं.	कर का नाम	दिनांक 31.03.2020 तक जमा कराने पर
1.	गृहकर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड/भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति पर शत–प्रतिशत छूट।
2.	नगरीय विकास कर	वर्ष 2019–20 तक का एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति की राशि पर शत–प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पूर्व (अर्थात वर्ष 2011–12 से पूर्व) का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट।

जिसकी अवधि दिनांक 31.05.2020 तक बढ़ायी जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः– प.8(ग)(38)नियम/डीएलबी/19/ SPL-1 जयपुर, दिनांकः– 30.03.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष समस्त नगर निगम/परिषद्/पालिकाऐं।
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
5. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
8. नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग सेल ईगर्वनेन्स को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव